

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**  
**वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005**  
( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल  
jacct.dta@rajasthan.gov.in )

**क्रमांक :- प.4(ई)(ग) अलेसे-III / मेरिट नंबर -2217/2013/3919 दिनांक :- 22-07-2019**

**कार्यालय आदेश**

श्री गुरुदयाल मौर्य कनि० लेखाकार मेरिट नंबर -2217/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है

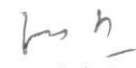
**दिनांक— 27.09.2018 से 28.09.2018 तक (कुल 02 दिवस)**

**दिनांक— 17.12.2018 से 20.12.2018 तक (कुल 04 दिवस)**

**कुल—04+02= 06 दिवस**

दिनांक— 15.12.2018 से 16.12.2018 तक का पुर्ववर्ती राजकीय अवकाश

उक्त कुल 06 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री गुरुदयाल मौर्य की सेवा पुस्तिका में **(लाल स्याही से)** अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

**क्रमांक :- प.4(ई)(ग) अलेसे-III / मेरिट नंबर -2217/2013/3919 दिनांक :- 22-07-2019**

**प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-**

1. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री गुरुदयाल मौर्य कनि० लेखाकार, कार्यालय आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)